राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/2012 से 3/2016

भाग – एक

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् के लेखाओं का अन्तिम अंकेक्षण विभाग द्वारा अवधि 04/2009 से 03/2012 तक के लिए किया गया था। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में परिषद् द्वारा की गई अनुपालनात्मक कार्रवाई का अवलोकन करने के पश्चात पैरों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 2001 से 03/2007 तक

पैरा 7	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
पैरा 8	समाप्त	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुर्नप्रारूपित किए जाने के दृष्टिगत समाप्त किया गया।
पैरा 9	समाप्त	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुर्नप्रारूपित किए जाने के दृष्टिगत समाप्त किया गया।
पैरा 10(क)	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
पैरा 10(ख)	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
पैरा 11	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/2007 से 03/2009 तक

पैरा 5	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
पैरा 8	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
पैरा 10	समाप्त	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुर्नप्रारूपित किए जाने के दृष्टिगत समाप्त किया गया।
पैरा 11	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अवधि 04/2009 से 03/2012 तक

पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क के प्रेषण का सत्यापन गत अंकेक्षण के दौरान ही कर लिया गया था।
पैरा 4 (क, ख)	समाप्त	वित्तीय स्थिति, कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।
पैरा 5	समाप्त	निवेश, कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं थी।
पैरा 6	निर्णीत	बैंक से सम्पूर्ण ब्याज की वसूली का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
पैरा 7	निर्णीत	अपेक्षित वसूली का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत

		किया गया।
पैरा 8	अनिर्णीत	––
पैरा 9	अंशतः निर्णीतः	क्रमांक 2,4,5,6 तथा 7 पर दर्शाए गए अस्थाई अग्रिमों के समायोजन का सत्यापन कर लिया गया। क्रमांक 1,3 तथा 8 पर दर्शाए गए ₹1,04,240 के अस्थाई अग्रिम समायोजन हेतु शेष हैं।
पैरा 10(क)	निर्णीत	परिषद् की प्रबन्धक समिति द्वारा दी गई कार्योत्तर व्यय स्वीकृति के दृष्टिगत निर्णीत किया गया।
पैरा 10(ख)	अनिर्णीत	––
पैरा 11	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।
पैरा 12	निर्णीत	की गई अपेक्षित कार्यवाही का सत्यापन करने के उपरान्त निर्णीत किया गया।

गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

क्र॰	अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	पैरा संख्या	राशि (₹) लाखों में
1	निवेश रजिस्टर का निर्माण न करना	6	––
2	निवेश राशियों को रोकड़ बही के लेखांकन से बाहर करना	7	1384.7
3	निवेश राशियों पर प्राप्त ब्याज का लेखांकन न करना	8	––
4	पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कम ब्याज दिया जाना	9	0.05
5	अग्रिमों का समायोजन न करना	13	24.92
6	बजट प्रावधानों के बिना व्यय किया जाना	14	––
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर का रख–रखाव न करना	15	––
8	जवाहर लाल नेहरू अभियान्त्रिकी महाविद्यालय के लिए किये गए व्यय की प्रतिपूर्ती न करना	16	0.83
9	प्रवेश विवरणिकाओं के छपाई व्यय की प्रतिपूर्ती न करना	19	8.48
10	दो टैबलेट कम्पयूटर की खरीद में अनियमितताएं	20	0.56

भाग–दो

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद्, सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 के अवधि 4/2012 से 3/2016 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिये गए हैं, श्री दिनेश चन्द्र लखनपाल, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 16.11.2016 से 30.11.2016 तक के दौरान परिषद् के कार्यालय में सुन्दरनगर में किया गया। अंकेक्षण हेतु आय की विस्तृत जांच के लिये माह 05/2012, 09/2013, 08/2014, व 03/2016 तथा व्यय की विस्तृत जांच के लिये माह 04/2012, 09/2013, 10/2014 व 05/2015 चयनित किये गए।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि में निम्न प्रकार से निदेशक तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी कार्यरत रहेः–

निदेशक, तकनीकी शिक्षा व उनका कार्यकाल अवधिः–

निदेशक, तकनीकी शिक्षा	**अवधि**
श्री विजय चन्दन, हि0 प्र0 से0	01–04–2012 से 30–11–2013
श्री राजेश्वर गोयल, हि0 प्र0 से0	19–12–2013 से 31–03–2016

आहरण एवं वितरण अधिकारी व उनका कार्यकाल अवधिः–

आहरण एवं वितरण अधिकारी का नाम	**पद**	**अवधि**
श्री देवेन्दर सिंह राणा	उप निदेशक	01–04–2012 से 18–02–2015
श्री पी0सी0 ठाकुर	विभागाध्यक्ष	19–02–2015 से 31–03–2016

यह अंकेक्षण एव् निरीक्षण प्रतिवेदन संस्था प्रमुख तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अंकेक्षण को प्रस्तुत की गई सूचनाओं एव् अभिलेख पर आधारित है। संस्था द्वारा किसी भी गलत सूचना के प्रस्तुत करने, किसी सूचना के प्रस्तुत न करने अथवा अपूर्ण सूचना प्रस्तुत करने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं है। विभाग का उत्तरदायित्व केवल अंकेक्षण की विस्तृत ज़ाँच हेतु चयनित मासों तक ही सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

परिषद् के अवधि 4/2012 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क स्थापना व्यय के आधार पर **₹**10,000 (दस हजार रुपये) आंका गया है। इस शुल्क राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को मल्टीसिटी चैक/रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी (ले0प0) द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या अं.वृ. बिलासपुर/एल.ए.डी./2015–16/–225 दिनांकः 30/11/2016 द्वारा निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0प्र0 से अनुरोध किया गया। निदेशक, तकनीकी शिक्षा हि0 प्र0 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के मल्टीसिटी चैक संख्या 307909 दिनांक 07–12–2016 द्वारा भेज दी गई।

4 (क) वित्तीय स्थितिः–

निदेशक तकनीकी शिक्षा, हि0प्र0 द्वारा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् के अवधि 04/2012 से 03/2016 के लिए प्रस्तुत **परिशिष्ट '1'** के आधार पर परिषद् की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः–

वर्ष	अथशेष	आय	अर्जित ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2012—13	98049922	31550659	3579107	133179688	48617211	84562477
2013—14	84562477	53719170	1240346	139521993	27969538	111552455
2014—15	111552455	14554665	15590480	141697600	8550668	133146932
2015—16	133146932	7791443	8444848	149383223	6271082	143112141

(ख) बैंक समाधान विवरणीः— राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् की निधियों की दिनांक 31—03—2016 को बैंक समाधान विवरणी निम्न प्रकार से हैः—

क्र	बचत खाते/निवेश का विवरण	दिनांक 31.03.2016 का अन्त ष्शेष (₹)
1	बैंक सावधि जमा निवेश का शेष **(परिशिष्ट '2')**	13,84,66,879
2	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बचत खाता संख्या 55076226411	43,70,987
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बचत खाता संख्या 65012425892	4,504
4	पंजाब नेशनल बैंक बचत खाता संख्या 3034000400058904	2,51,082
5	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बचत खाता संख्या 604702010001498	18,689
	सावधि जमा व बचत खातों का दिनांक 31—03—2016 का शेष	**14,31,12,141**
	रोकड़ बही अनुसार 31—03—2016 का शेष	**14,31,12,141**
	अन्तरः	**शून्य**

5 निवेशः—

निदेशक तकनीकी शिक्षा, हि0प्र0 द्वारा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् के अवधि 04/2012 से 03/2016 के लिए प्रस्तुत **परिशिष्ट '2'** में प्रस्तुत सूचना के आधार पर परिषद् द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधी जमा में किए गए निवेश का विवरण निम्नानुसार हैः—

	बैंक	31.03.2016 का निवेश मूल्य (₹)
1	भारतीय स्टेट बैंक, सुन्दरनगर	41,89,742.00
2	हि0प्र0रा0स0 बैंक, सुन्दरनगर	2,01,44,177.00
3	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सुन्दरनगर	6,08,66,923.00
4	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सुन्दरनगर	53,27,765.00
5	बैंक ऑफ बड़ौदा, सुन्दरनगर	29,41,418.00
6	हि0प्र0रा0स0 बैंक, धनोटू	14,441.00
7	यूनियन बैंक ऑफ इन्डिया, सुन्दरनगर	23,89,663.00
8	पंजाब नेशनल बैंक, सुन्दरनगर	4,25,92,750.00
	निवेश की गई राशियों का कुल योगः	13,84,66,879.00

6 निवेश रजिस्टर का निर्माण न करने बारेः–

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के लिए परिषद् द्वारा निवेश रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था। गत अंकेक्षण के दौरान भी इस बारे प्रतिवेदन में आपत्ति दर्ज की गई थी परन्तु अपेक्षित कार्यवाही करने के स्थान पर परिषद् द्वारा मात्र रोकड़ बही में प्रत्येक माह के अन्त में निवेश विवरणी चिपकाई जाती है न कि नियमानुसार निवेश रजिस्टर तैयार किया गया है। इस प्रकार के अभिलेख के अभाव में निवेशित राशि की परिपक्वता पर मिलने वाले ब्याज, प्राप्त की गई परिपक्वता राशि तथा इसके लेखांकन की जांच अंकेक्षण के दौरान नहीं की जा सकी। अतः पुनः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य हेतु निवेश रजिस्टर का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 निवेश की गई राशियों को रोकड़ बही के शेष से बाहर करने बारेः–

रोकड़ बही की जांच में पाया कि निवेश की गई राशि जिसका दिनांक 31–03–2016 को निवेश/पुर्ननिवेश ₹13,84,66,879 है को रोकड़ बही के दैनिक/मासिक शेष का भाग बनाने के स्थान पर प्रत्येक माह के अन्त में निवेश विवरणी बनाकर अलग से दर्शाया जाता है। इस प्रकार दिनांक 31–03–2016 को रोकड़ बही के वास्तविक शेष ₹14,31,12,141 के स्थान पर ₹46,45,262 दर्शाया गया है। इस कारण से परिषद् की रोकड़ बही लेखांकन के मूल सिद्धांतों के अनुसार वास्तविक एवं सम्पूर्ण स्थिति प्रदर्शित नहीं करती है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

8 निवेश की गई राशियों पर प्राप्त ब्याज की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करने बारेः–

परिषद् की रोकड़ बही की जांच में पाया गया कि निवेश/पुर्ननिवेश की गई राशियों पर अर्जित ब्याज का लेखांकन रोकड़ बही में नहीं किया गया है। अर्जित ब्याज की आय का रोकड़ बही में लेखांकन न किया जाना प्रतिपादित वित्तीय नियमों तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी नियमों तथा दिशा निर्देशों की अवहेलना है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंजाब नेशनल बैंक द्वारा समान अवधि के लिए समान राशियों पर अलग–अलग ब्याज दिए जाने बारेः–

परिषद् द्वारा अवधि 03–03–2012 से लेकर 28–05–2012 तक के 86 दिनों के लिए पंजाब नेशनल बैंक में दो अलग अलग खातों में क्रमशः एक–एक करोड़ रुपये की राशि जमा की गई थी। परन्तु बैंक द्वारा इस समान अवधि के लिए समान निवेश राशि पर क्रमशः ₹53430 तथा ₹48329 का अलग अलग ब्याज दिया गया है। इस प्रकार परिषद् निधि को ₹5101 की हानि उठानी पड़ी है। अतः इस प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर बैंक के साथ उठाते हुए इस राशि की भरपाई सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10 अत्याधिक सावधि निवेश खातों का संचालन करने बारेः–

राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् सुन्दरनगर के लेखों के अवलोकन पर पाया गया कि दिनांक 31–03–2016 को परिषद् द्वारा विभिन्न बैंकों में सावधि निवेश के 47 खातों का संचालन किया जा रहा था जिनमें न्यूनतम ₹14,441 से लेकर अधिकतम ₹80,52,254 की राशियां निवेशित हैं। इन 47 खातों में से स्टेट बैंक ऑफ पटियाला तथा पंजाब नेशनल बैंक में क्रमशः 15–15 खाते चलाए जा रहे हैं। इन 47 में से अधिकतर खातों को गत कई वर्षों से मात्र एक–एक वर्ष की अवधि के लिए पुर्ननिवेशित ही किया जा रहा है। इतने अधिक खातों के संचालन का औचित्य प्रतीत नहीं होता है तथा वित्तीय प्रबन्धन की कमी को दर्शाता है। इन अत्याधिक निवेश खातों के संचालन में न केवल बहुमूल्य मानव श्रम की बर्बादी होती है बल्कि लेखांकन में मानवीय चूक की सम्भावना भी बनी रहती है। अतः भविष्य हेतु सुझाव दिया जाता है कि छोटी निवेश राशियों को समेकित (Consolidate) करते हुए आवश्यकता अनुसार बड़ी राशियों में पुर्ननिवेशित करके बेहतर वित्तीय प्रबन्धन हेतु इन खातों की संख्या को यथासंभव घटाने का प्रयत्न किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

11 अनावश्यक रूप से चार बचत खातों का संचालन करने बारेः–

परिषद् द्वारा दिनांक 31–03–2016 को निधि के लिए उपरोक्त पैरा 4(ख) में वर्णित चार बचत खातों का संचालन किया जा रहा था जिनके अवलोकन पर पाया गया कि इनमें से मात्र स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बचत खाता संख्या 55076226411 को वास्तव में निधि संचालन के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य तीन खाते असक्रिय (non-operational) थे। इन खातों को चलाए जाने का स्पष्टतया कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः भविष्य के लिए सुझाव दिया जाता है कि बेहतर वित्तीय प्रबन्धन हेतु इन तीन बचत खातों को बन्द

करते हुए निधि का संचालन एक ही बचत खाते से करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

12 प्रतिभूति रजिस्टर का रख–रखाव न करना:–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिषद् द्वारा प्रतिभूति रजिस्टर नहीं बनाया गया है। उदाहरण के लिए वर्ष 2011–12 के दौरान परिषद् द्वारा एक डीजल जैनरेटर मै0 हिम जनरल इन्डस्ट्रीज़, मण्डी से खरीदा गया था। इसके टैंडर के साथ आपूर्तीकर्ता द्वारा प्रतिभूती/अरनैस्ट मनी के रूप में पंजाब नैशनल बैंक का ₹16000 का सावधि जमा प्रमाणपत्र जोकि निदेशक तकनीकी शिक्षा के नाम से बन्धक रखा गया है, जमा करवाया गया था। परन्तु इसे रोकड़िए के पास जमा करवाने के स्थान पर स्टोर इन्चार्ज द्वारा टैंडर फाइल में ही रखा गया है। यह बहुत ही अनियमित कार्यप्रणाली है तथा सम्बन्धित वित्तीय नियमों की अवहेलना है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार करके प्रतिभूती रजिस्टर को तैयार करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

13 ₹24.92 लाख का समायोजन न करना:–

(क) निदेशक, तकनीकी शिक्षा, हि0प्र0 द्वारा राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् के सन्दर्भ में **परिशिष्ट '3'** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31–03–2016 को ₹24,91,630 असमायोजित अग्रिमों के रूप में निम्न विवरणानुसार समायोजन हेतु शेष थी:–

क्र	आहरण दिनांक	आहरणकर्ता	आहरण का उद्देश्य	राशी (₹)
1	24.02.2014	आई आई आई टी ऊना	भूमी हस्तांतरण	475000
2	27.10.2014	राजीव गांधी अभियान्त्रिकी महाविद्यालय कांगड़ा	निर्माण कार्य	2000000
3	18.03.2016	एम ई एस योजना	प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु	16630
			कुल योग	**2491630**

उपरोक्त अस्थाई अग्रिमों की राशि का प्राथमिकता के आधार पर समायोजन सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त अवधि 04/2009 से 03/2012 के लिए गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 9 मे दर्शाए गए अस्थाई अग्रिमों में से भी ₹1,04,240 अभी तक समायोजन हेतु शेष है। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी इन अग्रिमों का समायोजित न होना एक गम्भीर विषय है। अतः इन अग्रिमों का प्राथमिकता के आधार पर समायोजन सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 बिना बजट प्रावधान के किया गया अनियमित व्ययः—

अंकेक्षण के दौरान व्यय की नमूना जांच तथा सम्बन्धित अभिलेख की जांच में पाया गया कि निधि से किए जाने वाले व्यय की सीमा/अथवा वित्तीय शक्तियां निर्धारित करने हेतु परिषद् द्वारा कोई विस्तृत नियमावली अथवा दिशा निर्देश नहीं बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त इस व्यय को नियन्त्रित/नियमित करने हेतु किसी प्रकार का बजट भी तैयार नहीं किया जाता है। सारे वर्ष के दौरान किए गए व्यय को वर्षांत में होने वाली परिषद् की वार्षिक बैठक में कार्योत्तर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाता है। यह कार्यप्रणाली अनियमित तथा सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार वित्तीय नियन्त्रण के सन्दर्भ में उचित नियमावली जारी करने के अतिरिक्त वार्षिक बजट बनाकर व्यय को नियन्त्रित तथा नियमित करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

15 मांग एवं प्राप्ती रजिस्टर का रख—रखाव न करनाः—

परिषद् को संबद्ध तकनीकी शिक्षा संस्थानों से प्राप्त होने वाली संबद्धीकरण शुल्क (Affiliation Fee), काउंसलिंग फीस, नवीनीकरण शुल्क इत्यादी की आय तथा उससे सम्बन्धित अभिलेख की नमूना जांच में पाया गया कि इस आय को नियन्त्रित करने तथा उसकी सम्पूर्ण वसूली पर नज़र रखने हेतु किसी प्रकार का मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर अथवा लैजर खाता तैयार नहीं किया गया है। वर्तमान में संबद्धित संस्थानों द्वारा भेजी गई समस्त राशियों को मात्र रोकड़िए द्वारा ही रोकड़ बही में लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई ऐसा अभिलेख परिषद् के पास उपलब्ध नहीं है जिससे यह पता लगाया जा सके कि किसी वर्ष में किस संस्था द्वारा द्वारा कितनी राशि देय थी तथा कितनी वसूल की गई है। इस सन्दर्भ में अंकेक्षण द्वारा समस्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी अपनी आपत्ती दर्ज की गई है परन्तु परिषद् द्वारा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की अनुपालना का प्रयत्न किया गया प्रतीत नहीं होता है जोकि एक अति गम्भीर विषय है। अतः बार बार उठाई गई अंकेक्षण आपत्ति को नज़रअंदाज़ करने तथा अभिलेख को तैयार न करने के सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस अभिलेख का नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

16 जवाहर लाल नेहरू राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सुन्दरनगर के लिए किए गए ₹0.83 लाख के अनियमित व्यय बारेः—

रोकड़ बही में दर्ज व्यय की चयनित माह हेतु नमूना जांच में पाया गया कि पृष्ठ 139 पर दिनांक 10.04.2012 को वाउचर संख्या 342 के अन्तर्गत मै0 स्काईलाइन, कालका, हरियाणा से जवाहर लाल नेहरू राजकीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय सुन्दरनगर के उदघाटन के समय रिमोट नियन्त्रण वाला उदघाटन यन्त्र (Remote Controlled Inauguration System) ₹83156 में खरीदा गया है। यह व्यय का राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद् के क्रिया कलाप से किसी भी प्रकार से सम्बन्धित न होने के कारण उचित प्रभार नहीं है। अतः इस अनुचित व्यय की प्राथमिकता के आधार पर उचित स्त्रोत से प्रतिपूर्ती सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 ₹430/— के व्यय वाउचरों की अनुपलब्धता बारेः—

रोकड़ बही में दर्ज व्यय की चयनित माह हेतु नमूना जांच में पाया गया कि पृष्ठ 143 पर दिनांक 28.04.2012 को मै0 उप्पल उपहार, सुन्दरनगर के पक्ष में ₹430 का भुगतान दर्ज किया गया है। परन्तु इस व्यय से सम्बन्धित कोई भी वाउचर सम्बन्धित वर्ष की नस्ति में उपलब्ध नहीं था जिस कारण से यह भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः इस प्रकरण की विभागीय स्तर पर जांच करते हुए वास्तविक वाउचर उपलब्ध करवाए जाएं अथवा उचित स्त्रोत से इस राशि की वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

18 ₹6825 के स्टॉक खरीद के लिए निविदाएं एकत्र न करने बारेः—

रोकड़ बही में दर्ज व्यय की चयनित माह हेतु नमूना जांच में पाया गया कि पृष्ठ 145 पर दिनांक 30.04.2012 को वाउचर संख्या 352 के अन्तर्गत मै0 नरेश स्टील फर्निचर ऐण्ड ऐग्रीकल्चरल इम्पलीमैन्टस, सुन्दरनगर को एक बुक केस तथा एक रैक की आपूर्ती हेतु कुल ₹6825 का भुगतान दर्ज किया गया है। इस वाउचर की जांच में पाया गया कि इस व्यय को करने से पूर्व खरीद का सम्पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए न तो किसी मांगकर्ता/विभाग द्वारा कोई मांगपत्र दिया गया है और न ही क्रय ₹3000 से अधिक होने के बावजूद भी इसके सन्दर्भ में किसी प्रकार की निविदाएं भी एकत्र नहीं की गई हैं। हि0प्र0 वित्तीय नियम 2009 के नियम 97 के अनुसार ₹3000 से अधिक व्यय को करने से पूर्व निविदाएं आमन्त्रित करना आवश्यक है। अतः नियमों की अवहेलना के कारण यह व्यय अनियमित है जिसे एकल निविदा क्रय के आधार पर परिषद् की विशेष अनुमति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य

में सामग्री की खरीद के समय नियमों की अनुपालना के सन्दर्भ में विशेष ध्यान रखा जाए। अनुपालना के सन्दर्भ में की गई कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

19 वाउचर संख्या 190 माह 9/2013 द्वारा ₹8.48 लाख से प्रवेश विवरणिका की छपाई का भुगतान करनाः—

रोकड़ बही में दर्ज व्यय की चयनित माह हेतु नमूना जांच में पाया गया कि माह 09/2013 में वाउचर संख्या 190 के अन्तर्गत हि0प्र0 मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से 28000 प्रवेश विवरणिकाओं (Prospectus) की छपाई का ₹8,48,165 का भुगतान परिषद् निधि से किया गया था। यह भुगतान उस वर्ष के लिए उपलब्ध सरकारी बजट में कमी के कारण तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए अस्थाई प्रावधान के रूप में किया गया था जिसकी प्रतिपूर्ती विवरणिकाओं की बिक्री से प्राप्त राशि से की जानी अपेक्षित थी। परन्तु उस वर्ष इन प्रवेश विवरणिकाओं की बिक्री से प्राप्त ₹52,34,568 (बैंक ब्याज सहित) की समस्त आय को छपाई की लागत की प्रतिपूर्ती किए बिना सरकारी राजस्व के अन्तर्गत राजकीय कोष में जमा करवा दिया गया था। अतः अब इस ₹8,48,165 की वसूली उचित स्त्रोत से करके निधि में जमा करवाया जाए अथवा इस व्यय को एक अपवाद के रूप में परिषद् की विशेष अनुमति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य हेतु सम्बन्धित विभागीय शाखा तथा कर्मचारियों को इस प्रकार की चूक न दोहराए जाने बारे दिशा निर्देश भी जारी किए जाएं।

20 वाउचर संख्या 139 दिनांक 22—10—2014 द्वारा खरीदे गए दो टैबलेट कम्पयूटर की क्रय सम्बन्धी अनियमितताएंः—

रोकड़ बही में दर्ज व्यय की चयनित माह हेतु नमूना जांच में पाया गया कि पृष्ठ 71 पर दिनांक 22.10.2014 को वाउचर संख्या 139 के अन्तर्गत मै0 ऐलोरा टैक्नौलोजी हमीरपुर, हि0प्र0 से ₹56290 का भुगतान करते हुए दो टैबलेट कम्प्यूटर (एच पी कम्पनी का विन्डोज़ 10 के साथ 10'' का ओमनी टैब ₹32800 में तथा सैमसन्ग कम्पनी का 8'' टैब ₹23490 में) खरीदे गए थे। इस खरीद के सन्दर्भ में अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित विसंगतियां पाई हैंः—

(क) यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि इस प्रकार की इलैक्ट्रौनिक वस्तुओं का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि इनके अन्दर कितनी उन्नत तकनीक प्रयोग की गई है। सामान्यजन को उसके द्वारा खरीदी गई वस्तु के अन्दर की तकनीक की जानकारी कम्पनी द्वारा साथ उपलब्ध करवाए गए अभिलेख तथा आपूर्तीकर्ता द्वारा जारी बिल पर दर्ज तकनीकी विवरण से ही प्राप्त होती है। परन्तु इस खरीद से सम्बन्धित वाउचर तथा अन्य अभिलेख की जांच में

कहीं पर भी इस प्रकार का तकनीकी विवरण उपलब्ध नहीं था जो कि कम्पनी अथवा आपूर्तीकर्ता द्वारा दिया गया हो। इस ख़ामी के कारण यह जान पाना बहुत मुश्किल है कि क्या परिषद् द्वारा वही टैबलेट प्राप्त किए गए हैं जिनकी मांग की गई थी अथवा जिनका मूल्य ₹56290 के भुगतान के रूप में चुकाया गया है।

(ख) मात्र तकनीकी विवरण ही नहीं वरन् आपूर्तीकर्ता द्वारा अपने आपूर्ती बिल संख्या 1399 दिनांक 18.9.2014 पर इन टैबलेट की क्रमांक संख्या तक नहीं लिखी गई है जो कि इस प्रकार की प्रत्येक इलैक्ट्रौनिक वस्तु की विशिष्ट पहचान होती है। न ही इस क्रमांक का विवरण स्टॉक रजिस्टर में दिया गया है जिस कारण से भण्डार से इन्हें जारी करने तथा वापिस प्राप्त करने की प्रामाणिकता को जान पाना असम्भव है।

(ग) इन टैबलेट के लिए परिषद् द्वारा जारी आपूर्ती आदेश संख्याः एस टी वी(टी ई) एच जी(2)/एस सी वी टी/पी यू आर/2010–6951 दिनांक 12.9.2014 की शर्त संख्या 5 के अनुसार आपूर्ती किए गए टैबलेट के ऊपर 12 माह की वारंटी होनी चाहिए थी। परन्तु अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत अभिलेख में इस वारंटी से सम्बन्धित कोई दस्जावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इस कारण से प्रतीत होता है कि इन टैबलेट की प्राप्ति के समय वारंटी के बारे में कोई ध्यान नहीं किया गया था जो कि अनुचित है।

(घ) इसी प्रकार उपरोक्त आपूर्ती आदेश की शर्त संख्या 7 के अनुसार आपूर्तीकर्ता द्वारा इन टैबलेट की मुरम्मत तथा कलपुर्जों की सात वर्षों तक उपलब्धता की गारंटी दी जानी आवश्यक थी परन्तु आपूर्ती स्वीकार करते समय इस प्रकार की कोई भी गारन्टी परिषद् द्वारा नहीं ली गई है जो कि अनुचित है।

उपरोक्त विसंगतियों के कारण प्रतीत होता है कि परिषद् में विभागीय प्रयोग हेतु सामग्री की खरीद करते समय न तो प्रतिपादित नियमों और न ही सरकार द्वारा इस सन्दर्भ में जारी नियमों/दिशा निर्देशों की तरफ कोई ध्यान दिया जाता है। हि0प्र0 वित्तीय नियम 2009 के नियम 10(ए) में दिए गए 'वित्तीय उपयुक्तता के मानकों (Standards of Financial Propriety) के अनुसार "कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी धन से किए जाने वाले व्यय में उतनी ही समझदारी तथा सामान्य तार्किकता का प्रयोग करेगा जितना कि उससे अपने धन के व्यय में अपेक्षित है"। उपरोक्त समस्त विसंगतियां इंगित करती हैं कि परिषद् में इस प्रकार की खरीद में उपरोक्त वित्तीय नियमों की अनदेखी की जा रही है। अतः इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इस खरीद के सन्दर्भ में पाई गई विसंगतियों को आवश्यक अभिलेख, तकनीकी विवरण, वारंटी, गारंटी इत्यादि आपूर्तीकर्ता से प्राप्त करके आवश्यक अभिलेख तैयार किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

21 भंडारण पुस्तकों (Stock/Store Registers) में सामान के इन्द्राज़ में त्रुटियाँ:–

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में विभिन्न निधियों से खरीदे गए सामान की भन्डारण पुस्तकों में प्रविष्टियों की जांच के दौरान पाया गया कि प्रविष्टियाँ करते समय भन्डारण लेखाँकन के सन्दर्भ में हि0प्र0 वित्तीय नियम 2009 के नियम 135 व 138 में प्रतिपादित प्रावधानों की तरफ कोई ध्यान न देते हुए उनकी अवहेलना की जा रही है। इस सन्दर्भ में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई हैं:–

(क) गत पैरा 19 में वर्णित टैबलेट कम्पयूटर को स्टॉक रजिस्टर क्रमांक 319 के पृष्ठ 186 पर दर्ज किया गया है। परन्तु इन्हें विभागीय प्रयोग हेतु सम्बन्धित अधिकारी को जारी करने पश्चात अन्तशेष शून्य कर दिया गया है। जो नियमानुसार गलत है क्योंकि हि0प्र0 वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार स्थाई भण्डार का शेष उसकी नीलामी अथवा बट्टे खाते में डाले जाने के पश्चात ही घटाया जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य स्थाई स्टॉक की वस्तुओं को भी विभागीय प्रयोग हेतु जारी करने के पश्चात शेष घटाए गए हैं। अतः इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्री विशेषतः इलैक्ट्रौनिक्स का तकनीकी विवरण तथा उनका विशिष्ट पहचान क्रमांक दर्ज नहीं किया गया है। जिस कारण से सामग्री के इस लेखांकन को अधूरा माना जाएगा। अतः अब इस कमी को दूर करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) स्टॉक रजिस्टर में दर्ज सामग्री विशेषतः उपकरणों के सन्दर्भ में किसी गारन्टी अथवा वारंटी का विवरण दर्ज नहीं किया जाता है। इस कारण से उपकरण के खराब होने की स्थिति में इस बात की पूरी सम्भावना बनी रहेगी। परिषद् उपकरण निर्माता द्वारा दी गई गारंटी/वारंटी का लाभ उठाने से वंचित रह जाए। अतः इस कमी को दूर करते हुए अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त त्रुटियों के समाधान हेतु तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों को सुधारात्मक कदम उठाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए जाएं ताकि भण्डार रजिस्टरों के लेखांकन में गुणात्मक सुधार आ सके।

22 रसीद बुकों का लेखांकन सामान्य स्टॉक रजिस्टर में करना:–

विभागीय रसीद बुकों की नमूना जांच में पाया गया कि इनको क्रय किए जाने के पश्चात खाली रसीद बुकों का लेखांकन भण्डार की अन्य सामग्री के साथ विविध भण्डार (Miscellaneous Store) के शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है। यह रसीद बुकों के लेखांकन

के सन्दर्भ में हि0प्र0 वित्तीय नियमों में प्रतिपादित प्रावधानों की उल्लंघना है। इन नियमों के अनुसार खाली रसीद बुकों का लेखांकन एक अलग स्टॉक रजिस्टर में करके यह रजिस्टर तथा खाली रसीदें आहरण एवं वितरण अधिकारी की निजी सुरक्षा में रखी जाएंगी। अतः इस त्रुटि के बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाना सुनिश्चित किया जाए।

23 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करनाः—

हि0प्र0 वित्तीय नियम 2009 के नियम 140 व 141 के अनुसार भण्डार का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि राज्य व्यवसायिक परिषद् द्वारा अंकेक्षणावधि के दौरान एक बार भी भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नही किया गया है जिस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

24 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** इसे पृथक से जारी नहीं किया गया।

25 **निष्कर्षः—** लेखाओं में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है।

हस्ता/—

(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः—फिन(एल0ए0)एच(2)सी(15)xi(xi)293/08—खण्ड—1—2512—2513 दिनाँकः 09.05.2017 शिमला—171009,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत 1 निदेशक, तकनीकी शिक्षा, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 अतिरिक्त मुख्य सचिव (तकनीकी शिक्षा) विभाग, हि0प्र0 शिमला—2

हस्ता/—
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046